भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2038
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए योजना

2038. श्री सनातन पांडेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किए जाने वाले संभावित सुधारों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इसके परिणामस्वरुप कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ) : जी हां, केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पांच वर्षों के लिए 4846 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी)' [राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की पूर्ववर्ती योजना (एमपीएफ)] की एक योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना का उद्देश्य प्रासंगिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है। इस योजना का फोकस सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के निर्माण के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण आदि से सुसज्जित करके अत्याधुनिक स्तर पर पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2038, दिनांक 11.03.2025

इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है:-

श्रेणी 'क'	दो हिमालयी राज्य नामत: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्य	90% (केन्द्र): 10% (राज्य) अंश के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र
श्रेणी 'ख'	शेष राज्य	60% (केन्द्र): 40% (राज्य) अंश के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए पात्र
श्रेणी 'ग'	संघ राज्य क्षेत्र	100% केंद्रीय अंश

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। हालाँकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है, उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता से राज्य पुलिस बल बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे।

****

,